# राजस्थान सरकार
# परिवहन विभाग
## परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकःएफ 25(75)पार्ट–II/परि/कम्प्यू./2016/1447-8 जयपुर,दिनांकः06/07/18

कार्यालय आदेश 23/2018

विभाग द्वारा आमजन को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वेब आधारित 'वाहन 4.0' में विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी की प्रक्रिया में संशोधन करवाये गये हैं जिन्हे 'वाहन 4.0' में प्रभावी कर दिया गया है। अतः संशोधित प्रावधानों के अनुसार आमजन को सेवाऐं प्रदान करने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. गैर परिवहन श्रेणी के पंजीकृत वाहनों को राज्य के भीतर अन्य प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय से स्वामित्व हस्तांतरण एवं पता परिवर्तन की सेवा प्राप्त करने हेतु वाहन स्वामी द्वारा सीधे नवीन प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। इस हेतु वाहन स्वामी को मूल/वर्तमान पंजीयन कार्यालय से NOC/CC प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही उपरोक्त सेवाओं के साथ आवश्यकतानुसार Hypothecation [addition/continuation/termination] की सेवा भी प्रदान की जा सकेगी।
2. गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों को अधिकृत वाहन विक्रेताओं द्वारा TRC जारी किये जाने का कार्य 'वाहन 4.0' के द्वारा किया जावेगा इस हेतु प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा 'वाहन 4.0' में office admin के स्तर से सभी अधिकृत वाहन विक्रेताओं के login को इस हेतु आवश्यक Permissions Grant की जाऐगी। यह कार्यवाही पूर्ण किया जाना संबंधित जिला परिवहन अधिकारी व्यक्तिगत रुप से सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत TRC जारी किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी–
    a. दिनांक 15.07.2018 के पश्चात् अधिकृत वाहन विक्रेता के द्वारा गैर परिवहन श्रेणी के राजस्थान राज्य के भीतर अन्य प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थाई पंजीयन किये जाने के उद्देश्य से विक्रित किये गये वाहनों को 'वाहन 4.0' के द्वारा TRC जारी किये जाने हेतु वाहन पर देय समस्त कर एवं फीस का भुगतान 'वाहन 4.0' के द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से किया जावेगा। इस तिथी से उक्त कार्य हेतु सीधे e-Gras पोर्टल पर जमा करवाया गया कर/फीस मान्य नहीं होगी।
    b. कार्यालय स्तर से बिंदु संख्या a पर उल्लिखित कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरांत अधिकृत वाहन विक्रेता को login करने के उपरांत कार्यालय का चयन करने की सुविधा प्राप्त हो जाऐगी। अधिकृत वाहन विक्रेता द्वारा उस कार्यालय का चयन करने जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन का स्थाई पंजीयन किया जाना है एवं entry Temporary RC विकल्प का चयन करने के उपरांत ऐसे वाहनों को अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। अधिकृत वाहन विक्रेता द्वारा वाहन के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज भी स्कैन कर अपलोड किये जाऐंगे।
    c. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय (जहां वाहन का स्थाई पंजीयन किया जाना है।) द्वारा अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र एवं 'वाहन 4.0' के

एप्लीकेशन नंबर के आधार पर वाहन का स्थाई पंजीयन किये जाने की प्रक्रिया 'वाहन 4.0' की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण की जावेगी।

d. संबंधित जिला परिवहन अधिकारी वाहन स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं भुगतान किये गये कर/फीस के विवरण का 'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर में अवलोकन करने के उपरांत वाहन को पंजीयन क्रमांक एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

e. परिवहन श्रेणी के वाहनों को TRC जारी किये जाने के कार्य के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया ही प्रभावी होगी।

3. परिवहन श्रेणी के वाहनों पर देय संपूर्ण कर/फीस जमा होने की स्थिति में वाहन को कर चुकता प्रमाण पत्र राज्य के किसी भी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय से 'वाहन 4.0' के द्वारा जारी किया जा सकेगा।

4. माननीय नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल के निर्णयों की अनुपालना हेतु NCR क्षेत्र के कार्यालयों में पंजीकृत ऐसे वाहनो जिन्हे कार्यालय से कोई सेवा प्रदान किया जाना संभव नहीं है को अन्य राज्यों/कार्यालयों के लिए NOC जारी करने के साथ 1 माह की अवधि के लिए transit fitness certificaete 'वाहन 4.0' के द्वारा जारी किया जा सकेगा।

5. उपरोक्त निर्णयों से जन साधारण को एवं अधिकृत वाहन विक्रेताओं को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः एफ 25(75)पार्ट–II/परि/कंप्यू./2016/ 14479-483 जयपुर, दिनांकः 06/07/18

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ........................................।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.......................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)